बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक......................... /

पटना, दिनांक.........................

सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14

प्रेषक,

साकेत कुमार,
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी की योजना हेतू ₹50.00 (पचास) लाख रूपये मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति के सम्बंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–3513, दिनांक–01.09.2015 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–1203, दिनांक–21.03.2016 के क्रम में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी की योजना हेतू ₹50.00 (पचास) लाख रूपये मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना अन्तर्गत राज्य के लघु उद्योग/शिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के ऐतिहासिक/धार्मिक स्थानों पर मेला/प्रदर्शनी लगाने हेतु एवं राज्य के बाहर राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में स्टॉल/स्पेस लेकर उत्पाद की बिक्री/प्रदर्श हेतु इस स्वीकृत राशि का व्यय किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष–मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0101 हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड P2851001040101, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5442, विषय शीर्ष 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद से विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में यथेष्ट उपबंध है।

4. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त अग्रिम राशि की निकासी कर उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना के चालू खाता सं0–31599798732 में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायेगें। जिसका व्यय समय–समय पर उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में की जायेगी।

5. इस योजना के मुख्य नियंत्री, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगे। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी/मूल प्रमाणक प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर डी0 सी0 विपत्र में राशि का समायोजन हेतु प्रतिवेदन महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगें।

6. स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5442 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेंगे।

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0, दिनांक–20.05.14 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

8. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या– *सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14* के **पृष्ट–45/टि0** पर दिनांक **08.11.16** को प्राप्त है। जिसका **डायरी संख्या–गै0सं0प्रे0सं0–320**, दिनांक **08.11.16** है।

9. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– *सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14* के पृष्ट–**48**/टि0 पर दिनांक–16.11.16 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या–**261/OSD**, दिनांक **14.11.16** है।

10. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 की कंडिका–15 के आलोक में उक्त राशि की अग्रिम निकासी हेतु शिथलीकरण के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतू प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक..........................
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना, दिनांक..........................
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4191 / पटना, दिनांक 29.11.16
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना स्वीकृति(राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी)–05/14

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (मेला प्रभारी), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी–(बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/एवं प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/XI/16
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
29.11.16

D:drive_suject_Dharmendra sir_\Sanction Order\2015-16..........95